रजिस्ट्री सं०-डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2010/ज्येष्ठ 31, 1932
No. 167] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2010/JYAISTHA 31, 1932

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

सं. ई (ओ) III-93/पीएम/50.—भारत सरकार रेल मंत्रालय के अंतर्गत ग्रुप 'ए' की विभिन्न रेल सेवाओं में 67000–79000 रुपये के वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर पर) में पदों पर नियुक्ति के लिए सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी । यह विनिश्चय किया गया है कि इन पदों के लिए अधिकारियों के चयन के प्रयोजन के लिए तरीका एवं पात्रता मानदंड निम्नानुसार निर्धारित किए जाएंगे :—

2. तरीका

क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/रेलवे बोर्ड/अ.अ.मा.सं. आदि में 67,000–79,000 रुपये के वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर पर) में पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा-वार पैनल चयन समिति द्वारा बनाए जाएंगे जिसमें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में भारत सरकार के सचिव तथा कार्यप्रभारी सदस्य, रेलवे बोर्ड (अथवा सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड जब अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड भी कार्यप्रभारी सदस्य हो) सदस्य के रूप में शामिल होंगे । चयन समिति विशिष्ट प्रकार के कार्यों की भी सिफारिश करेगी जिसके लिए पैनल में शामिल किसी विशेष अधिकारी को उपयुक्त माना जाएगा । चयन समिति द्वारा बनाया गया तथा रेल मंत्री द्वारा विधिवत् अनुमोदित पैनल मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुमोदन के बाद रेल मंत्री द्वारा विशिष्ट तैनातियों के आदेश किए जाएंगे ।

2.1 सेवा-वार पैनल बनाते समय, पैनल वर्ष के दौरान अधिवर्षिता, पदोन्नति आदि के कारण प्रत्येक सेवा के संवर्ग में होने वाली रिक्तियों के अतिरिक्त, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर प्रत्येक संवर्ग/सेवा के लिए निर्धारित सामान्य पदों पर तैनाती/पदोन्नति के परिणामस्वरूप होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की गणना की जाए ।

3. पात्रता मानदंड

(क) पैनल में रखने के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों ने कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में काम किया हो तथा जिस वर्ष के लिए पैनल बनाया गया हो, उस वर्ष की एक अप्रैल को उनकी आयु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए जैसा कि इस संकल्प के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है ।

(ख) पैनल में रखे गए केवल ऐसे अधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी । जिनकी बारी आने पर हुई रिक्ति के होने की तारीख को एक वर्ष की अथवा अधिक सेवा बची हो ।

4. चयन समिति की बैठक की आवर्तिता तथा पैनल वर्ष

चयन समिति की बैठक सामान्यत: वर्ष में एक बार पूर्व वित्त वर्ष की 15 जुलाई तथा नवंबर के बीच उपयुक्त समय पर होगी तथा इसमें उस वर्ष की मार्च तक की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया जाएगा । यदि परिस्थितियों को देखते हुए अपेक्षित हो तो एक वर्ष से कम के समय अंतराल पर बैठक की जा सकती है । समिति वर्ष की एक अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक अवधि के दौरान 67,000–79,000 रुपये के वेतनमान (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर पर) के पदों पर मौजूदा तथा प्रत्याशित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए नामों का पैनल लेगी ।

5. छूट

यदि उपर्युक्त प्रावधान सार्वजनिक हित में उचित समझे जाएं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से आवश्यक सीमा तक छूट दी जाए । ऐसी किसी भी छूट को विशेष रूप से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के ध्यान में लाया जाए ।

6. व्याख्या

व्याख्या से संबंधित शंका के सभी प्रश्नों के बारे में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा ।

शिवाजी रक्षित, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th June, 2010

No. E(O)III-93/PM/50.—The Government of India have had under consideration the question of laying down principles and procedure for making appointment to the posts in scale Rs. 67,000–79,000 (annual increment @ 3%) in various Group 'A' Railway Services under the Ministry of Railways. It has been decided that the method and eligibility criteria for the purpose of selection of officers for these posts will be as laid down hereunder :—

2. Method

Service-wise panels for appointment to the posts in scale Rs. 67,000–79,000 (annual increment @ 3%) in Zonal Railways/Production Units/Railway Board/RDSO etc. shall be prepared by the Selection Committee consisting of Chairman, Railway Board as Chairman, Secretary to the Government of India in the Department of Personnel and Trainning and Functional Member-in-charge, Railway Board (or Member Staff, Railway Board when Chairman, Railway Board is also the Functional Member), as Members. The Selection Committee may also recommend the specific type/types of assignments for which a particular officer mentioned in the panel may be considered suitable. The panel, as prepared by the Selection Committee, and duly approved by the Minister of Railways, shall be submitted for approval of the Appointments Committee of the Cabinet and after approval, specific postings will be ordered by the Minister of Railways.

2.1 While preparing Service-wise panels, in addition to vacancies arising in the cadre of each Service due to superannuation, promotion, etc., during the panel year, vacancies anticipated as a result of postings/promotions to general posts determined for each cadre/service on the basis of experience of preceding five years, shall be taken into account.

3. Eligibility Criteria

(a) Officers to be considered for empanelment should have worked in Senior Administrative Grade for a minimum period of 3 years on regular basis and should be less than 59 years of age as on the 1st April of the year for which the panel is made, as referred to in Para 4 of this Resolution.

(b) Only such of the empanelled officers would be appointed to these posts who had a year or more of service left on the date of occurrence of vacancy falling in their turn.

4. Periodicity of meeting of Selection Committee and the panel year

The Selection Committee shall normally meet once a year at a suitable time between 15th July and November of the preceding financial year and take into consideration the Confidential Reports up to March of that year. They may meet at intervals of less than a year, if the circumstances so require. They will draw up a panel of names for appointment to the existing and anticipated vacancies in posts in scale Rs. 67,000–79,000 (annual increment @ 3%) during the period from 1st April of the year to the 31st March of the next year.

5. Relaxation

Any of the above mentioned provisions may, if considered expedient in the public interest, be relaxed to the extent necessary, in consultation with the Department of Personnel and Training. Any such relaxation shall be specifically brought to the notice of the Appointments Committee of the Cabinet.

6. Interpretation

All questions of doubt regarding the interpretation shall be decided by the Ministry of Railways (Railway Board) in consultation with the Department of Personnel and Training.

SHIVAJI RAKSHIT, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.